न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 76/2012

वादी :-

चौथाराम पुत्र रावतराम
जाति-रेगर, निवासी-बलाड़ा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. प्रहलाद पुत्र प्रभुराम
2. पप्पूराम पुत्र प्रभुराम
3. सुरेश पुत्र प्रभुराम
4. गौतम पुत्र प्रभुराम
5. रमेश पुत्र प्रभुराम
6. बद्रीलाल पुत्र प्रभुराम
7. इन्द्रा पुत्री प्रभुराम
8. पिनूड़ी पुत्री प्रभुराम
9. मोनिका पुत्री प्रभुराम
10. भूरकी पत्नि प्रभुराम

जातियान-रेगर, निवासीगण-बलाड़ा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
11. पटवारी हल्का बलाड़ा
12. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
13. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.28.03.2012

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 14/03/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-बलाड़ा, पटवार हल्का-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1165 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जिस पर वादी का अपने पिता प्रपिता के समय से व उनके फौत होने के बाद से आज दिन तक लगातार वादी का कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं एवं एक मात्र वादी ही काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतियाँ साथ पेश की हैं। उक्त आराजी को आगे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से जाना जायेगा। उक्त विवादित आराजी में वक्त सेटलमेन्ट से वादी के पिता का ही कब्जा काश्त रहा हैं तथा वादी एवं वादी के पिता ही इस भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। लेकिन गलती से सम्वत् 2020 से 2023 की जमाबन्दी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 10 के पति व पिता प्रभुराम पुत्र हजारी के नाम दर्ज हो गया। जबकि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019 से लगायत 2035 में वादी व उसके पिता का ही कब्जा व काश्त का अंकन दर्ज। इस बाबत् वादी व उसके पिता ने प्रभुराम से उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने का निवेदन किया, जिस पर प्रभुराम ने भी उक्त गलती सुधार करवाने बाबत् चौथाराम व उसके पिता को कहा कि मैं यह गलती सुधार

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

करवाकर भूमि आपके नाम दर्ज करवा दूंगा। लेकिन इस दरमियान प्रभुराम का देहान्त हो गया तथा इस रोंग एन्ट्री के आधार पर प्रतिवादीगण के पति व पिता का नाम दर्ज हो गया हैं। जिससे प्रतिवादीगण की नियतबद हो गई हैं। इसलिए उक्त एन्ट्री को हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं एवं वादी इस भूमि में अपने नाम की घोषणा कराने का अधिकारी होने से यह वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया जा रहा हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 10 की नियतबद हो गई हैं एवं अब यह जबरदस्ती अपने पिता व पति के नाम का उक्त भूमि में गलत इन्द्राज होने का फायदा उठाकर इस भूमि को अन्यत्र बेचान करने पर आमादा हैं व दिनांक 25/03/2012 को वादी को एलानिया कथन किया कि हम आप लोगों को इस भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर इस भूमि को जबरदस्ती बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण करके रहेगें व तुझे इस भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर देगें। जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया जाता हैं तो वादी को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी तथा वादी प्रतिवादीगण को ऐसा हरगिज नहीं करने देगें। जिससे मौके पर विवाद होगा व विभिन्न प्रकार की मुकदमें बाजी होगी। जिससे वादी को असीम क्षति होगी। इस प्रकार से होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता हैं। इसलिये वादी अपने हक हिस्से की भूमि का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कराने का अधिकारी होने से यह वाद पत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर प्रस्तुत कर रहा हैं। प्रतिवादीगण संख्या 10, 11, 12 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से इस वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार हैं। जिनके विरूद्ध वाद पत्र पेश करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। तब प्रतिवादीगण इस भूमि को जरिये रहन बेचान वसीयत के अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष अनुमति लेकर पेश किया जा रहा हैं। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र धारा 80(2) का अलग से साथ पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 25/03/2012 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उनके हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उक्त भूमि को रहन बेचान हस्तान्तरण करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-बलाड़ा तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं। जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 को बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 चौथाराम का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश हुआ, को विवेचित कर शामिल मिसल किया गया। अन्य शहादत वादी पेश नहीं करना चाहने से शहादत वादी बन्द की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का कथन हैं कि प्रतिवादीगण का नाम गलती से सैटलमेन्ट में दर्ज हो गया था। वादी अकेला ही खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण द्वारा कोई सबूत पेश नहीं करने से यह प्रतीत होता हैं कि प्रतिवादीगण के पिता परबू व पाबू का नाम 1/2 हिस्सा गलत दर्ज हुआ हैं। शहादत वादी शपथ-पत्र अनुसार वादी के 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादीगण के पिता के गलत दर्ज 1/2

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हिस्से में वादी का ही सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। लिहाजा वादी को खसरा नम्बर 1165 रकबा 10-02 बीघा किस्म बा0दो0 भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा प्रति0 संख्या 1 से 10 तक के पिता के नाम परबू व पाबू की प्रविष्टि को हटाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिग्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-बलाड़ा, पटवार हल्का-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1165 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम से प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पिता के नाम परबू अर्थात् पाबू की प्रविष्टि को हटाया जाता हैं। वादी को एक मात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिग्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को डिग्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 14/03/2015 को आयोजित मेगा लोक अदालत न्यायालय हाजा में सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

चौथाराम पुत्र रावतराम
जाति-रेगर, निवासी-बलाड़ा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

1. प्रहलाद पुत्र प्रभुराम
2. पप्पूराम पुत्र प्रभुराम
3. सुरेश पुत्र प्रभुराम
4. गौतम पुत्र प्रभुराम
5. रमेश पुत्र प्रभुराम
6. बद्रीलाल पुत्र प्रभुराम
7. इन्द्रा पुत्री प्रभुराम
8. पिनूड़ी पुत्री प्रभुराम
9. मोनिका पुत्री प्रभुराम
10. भूरकी पत्नि प्रभुराम

जातियान-रेगर, निवासीगण-बलाड़ा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

11. पटवारी हल्का बलाड़ा
12. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
13. तहसीलदार, जैतारण

तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:76/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बलाड़ा, पटवार हल्का-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1165 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम से प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पिता के नाम परबू अर्थात् पाबू की प्रविष्टि को हटाया जाता हैं। वादी को एक मात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें गय सूद व शहर....-. ....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/03/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०२	००	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	०१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	१७	००	महनताना वकील		
महनताना वकील	०५	००	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	२५	००	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner